जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/twb/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 25 मई 2021

भ्रष्टाचार की दीमक खा रही इस देश के नौनिहालों का भविष्य!!!

4.25 करोड़ के गद्दे-तकिये खरीद घोटाले मे 2.5 साल पहले ACB मे तत्कालीन वित्तीय सलाहकार श्रीमति अनुपमा शर्मा समेत तीन के खिलाफ दर्ज की गयी थी ज़ीरो एफ़आईआर!!

भाग-1

ग्राउंड रिपोर्ट | भास्कर टीम ने चार जिलों के 15 छात्रावासों में जाना घोटाले का सच

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
छात्रावासों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सप्लाई का सच

गद्दों-तकियों में रुई की जगह लुगदी, 734 छात्रावासों में सप्लाई हुई घटिया सामग्री, 1.72 करोड़ का घपला

कैसी-कैसी कमियां | ऐसी घटिया क्वालिटी, 3 माह में पड़े-पड़े ही कचरे की तरह बिखर गए

टोंक निवाई : तीन माह में ही बिखरे, वजन भी 3 किलो ... : गद्दों में रुई की जगह भरी थी लुगदी और कचरा

712 छात्रावासों और 22 राजकीय आवासीय छात्रावासों में हुए सप्लाई

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 734 छात्रावासों में घटिया सामग्री सप्लाई करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) के मार्फत कचरा व लुगदी से भरे गद्दों व तकियों की खरीद-फरोख्त कर प्रदेश के 734 राजकीय छात्रावासों ... कर दिए। ...

गद्दे खरीदने थे बुनकर संघ से लेकिन खरीदे गए एनटीसी से

734 छात्रावासों में लुगदी-कचरे से भरे गद्दे और तकिये सप्लाई करने की जांच अब एसीबी करेगी

परिवाद दर्ज, एडिशनल डायरेक्टर ने लुगदी से भरे हुए गद्दों व तकियों को एनटीसी से बदलाने के लिए कहा था, अधिकारियों ने नजरअंदाज किया

पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 712 राजकीय छात्रावासों व 22 राजकीय ...

बारां के शाहबाद रोड स्थित देवनारायण आदर्श व सब्जीमंडी स्थित अम्बेडकर छात्रावास में गद्दे व तकिये दोनों हॉस्टलों के स्टोर रूम में पड़े थे। अभी तक उनका उपयोग नहीं हुआ। गद्दों का वजन 10 किलो था। गद्दों-तकियों में कचरा ...

कोटा के टैगोर नगर में देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास और अम्बेडकर छात्रावास छावनी की पड़ताल की। टैगोर छात्रावास में 20 तकिये, 10 गद्दों की सप्लाई हुई। तकिये फटे थे। ...

... मामले की जांच पूर्व ... निदेशक भी कर चुके हैं, जिन्होंने बांसवाड़ा-डूंगरपुर के छात्रावासों में गड़बड़ी पकड़ी थी, लेकिन इस जांच रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पढ़िए पूरी रिपोर्ट...।

• छात्रावास अधीक्षक युद्धवीर सिंह ने गद्दों व तकियों में भरा कचरा देख... भी बोलने से इंकार कर दिया और कहने लगे कि हमारे अधिकारियों से बात करो।

... छावनी छात्रावास के अधीक्षक अजामउल्ला खान ने कहा- सामग्री जयपुर से सप्लाई हुई है।

सभी हॉस्टलों में अगर कचरा और लुगदी से भरे हुए गद्दे और तकिये सप्लाई किए गए हैं और घटिया गुणवत्ता है तो यह गंभीर मामला है। मेरे आने से पहले सप्लाई हुए थे। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गद्दों और तकियों के सैम्पलों को किसने अप्रूव किया था, इसकी भी जांच होगी।

दैनिक भास्कर से साभार

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

डूंगरपुर-बांसवाड़ा : रूई के गद्दों को भी नहीं छोड़ा, इन्हें खरीदने में भी किया भ्रष्टाचार, क्या होगा देश का हाल?

प्रदेश भर में हुई है आपूर्ति, निरीक्षण में खुली पोल, स्तरहीन सामग्री खरीद राजकीय राशि का किया दुरुपयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास

By: Ashish vajpayee
Published: 27 Dec 2017, 11:24 AM IST Dungarpur, Rajasthan, India

पत्रिका.कॉम से साभार

वरुण भट्ट/मिलन शर्मा. डूंगरपुर/बांसवाड़ा. गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में शीत ऋतु के लिए रूई के गद्दों की हुई खरीद में गड़बड़झाला सामने आया है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के तीन छात्रावासों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट सहायक निदेशक को प्रेषित कर दी है। इस खरीदी को गुणवत्ताहीन एवं औचित्यहीन बताया है। बांसवाड़ा जिले में 560 एवं डूंगरपुर में 200 से अधिक गद्दों की खरीद हुई है।

राजकोष को लगाई चपत

जांच में अतिरिक्त निदेशक ने लिखा है कि निरीक्षण में पाया कि इन आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के उपयोगार्थ गद्दे, चद्दर, कम्बल एवं बंक बैड उपलब्ध करवाए गए हैं। किन्तु, सामग्रियों को देखने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता ने गद्दे की निर्धारित मोटाई के स्थान पर मात्र एक से सवा इंच मोटाई वाले ही आपूर्ति कर दिए हैं। इससे ठण्ड का रुकाव नहीं हो पाता है। फर्म द्वारा उपलब्ध गद्दे पूर्णतया स्तरहीन हैं। टिप्पणी में जांचकर्ता ने उल्लेख किया है कि यह राजकीय राशि का दुरुपयोग एवं तय मापदण्डों की अवहेलना है।

बंक बैड पर सवाल..

जांच में बंक बैड की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। बंक बैड भी मजबूत नहीं है तथा यह अभी से ही हिल रहे हैं। जिन पर विद्यार्थियों को सोने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। जबकि, यह सामग्री आपूर्ति हुए अभी बमुश्किल छह माह ही हुए हैं। बंक बैड ऐसे है कि विद्यार्थियों के ऊपर चढ़ते ही हिलने लग जाते हैं। इससे विद्यार्थी उपयोग ही नहीं कर रहे हैं।

बंक बैड पर सवाल..

जांच में बंक बैड की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। बंक बैड भी मजबूत नहीं है तथा यह अभी से ही हिल रहे हैं। जिन पर विद्यार्थियों को सोने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। जबकि, यह सामग्री आपूर्ति हुए अभी बमुश्किल छह माह ही हुए हैं। बंक बैड ऐसे है कि विद्यार्थियों के ऊपर चढ़ते ही हिलने लग जाते हैं। इससे विद्यार्थी उपयोग ही नहीं कर रहे हैं।

यह है मामला

भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शीत ऋतु को देखते हुए वृहद स्तर पर लाखों रुपए खर्च कर रूई के गद्दे, चद्दर, कम्बल एवं बंक बैड उपलब्ध करवाए गए। लेकिन, आपूर्ति के बाद ही विद्यार्थियों एवं छात्रावास अधीक्षकों ने सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर हाल ही में विभाग के अतिरिक्त निदेशक महावीरसिंह ने प्रदेश के डूंगरपुर जिले में स्थित खेड़ा आसपुर, सागवाड़ा तथा बांसवाड़ा के खोडन छात्रावास का निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की। इसमें उन्होंने भी शिकायत को पुष्ट माना है।

करीब 4 साल पहले उजागर हुआ था गद्दा खरीद घोटाला

करीब 4 साल पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 734 छात्रावासों में घटिया सामग्री सप्लाई करने का मामला सामने आया था। अधिकारियों ने नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) के मार्फत कचरा व लुगदी से भरे गद्दों व तकियों की खरीद-फरोख्त कर प्रदेश के 734 राजकीय छात्रावासों में सप्लाई कर दिए|

712 छात्रावासों और 22 राजकीय आवासीय छात्रावासों में हुए सप्लाई

पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 712 राजकीय छात्रावासों व 22 राजकीय आवासीय छात्रावासों में 28 हजार छात्र-छात्राओं के लिए 13442 गद्दे और 26662 तकिये सप्लाई किए थे। एक गद्दे की कीमत 908 रुपए व तकिये की 187 रु. थी। यानी 1.22 करोड़ रु. से ज्यादा के गद्दे व 50 लाख के तकिये खरीदे थे।

बेडशीट की चौड़ाई धुलने के बाद दो फीट

छात्रावासों में गद्दों के साथ बैडशीट भी सप्लाई की गई थी। बैडशीट कटी-फटी है। बैडशीट गंदी होने पर जब छात्र-छात्राओं ने उसको धोया तो सूखने के बाद दो फीट चौड़ी हो गई। जबकि सप्लाई की गई थी तब बैडशीट की चौड़ाई तीन फीट थी।

राजस्थान पत्रिका की खबर पर एसीबी ने की जांच,मामले मे तत्कालीन वित्तीय सलाहकार श्रीमति अनुपमा शर्मा समेत श्री गणपत लाल शर्मा,तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी द्वितीय(छात्रावास)सेवानिवृत अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,एनके शर्मा प्रोप्राइटर(एनटीसी)नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर एवं राजस्थान सेंट्रल स्टोर लि. को दोषी मानकर दर्ज की गयी थी ज़ीरो नंबरी एफ़आईआर

वर्ष 2017 के अंत मे राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए एसीबी डुंगरपुर के तत्कालीन उप अधीक्षक श्री गुलाब सिंह द्वारा इस मामले की जांच की गयी थी,इस जांच मे एसीबी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों मे एनटीसी)नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर द्वारा बंक बेड आदि घटिया सामाग्री की आपूर्ति कर,नियमों की अवहेलना कर अनियमितता बरतते हुए,स्वयं को लाभ पहुचाने व राज्य सरकार को हानि पहुचाने का दोषी मानते हुए तत्कालीन वित्तीय सलाहकार श्रीमति अनुपमा शर्मा समेत श्री गणपत लाल शर्मा,तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी द्वितीय(छात्रावास)सेवानिवृत अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,एनके शर्मा प्रोप्राइटर(एनटीसी)नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर एवं राजस्थान सेंट्रल स्टोर लि के विरुद्ध ज़ीरो नंबरी एफ़आईआर दर्ज की थी|

Action History

#	From	To	Action	Date	Remarks
1	GYANESH KUMAR / 9828346151	-	Grievance Registered	24-Feb-2018	Grievance Registered on 24-Feb-2018
2	, , ,	Social Justice & Empowerment , Deputy Director , (Administration) , Jaipur (Urban)	Allocated	24-Feb-2018	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है
3	Social Justice & Empowerment , Deputy Director , (Administration) , Jaipur (Urban)	Social Justice & Empowerment , Assistant Director , (HOSTEL) , Social Justice & Empowerment Dept.	Forwarded	24-Mar-2018	प्रकरण जिला कार्यालय से संबंधित नहीं है अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशालय सा.न्या.अ.वि राजस्थान जयपुर को अग्रेषित है
4	Social Justice & Empowerment , Assistant Director , (HOSTEL) , Social Justice & Empowerment Dept.	, , ,	Partially Special Closed	19-Apr-2018	उकत प्रकरण में ACB द्वारा शिकायत दर्ज की गयी है, एवं जाँच प्रकियाधिन है.
5	Citizen Contact Center , Data Entry Operator , (Administration) , Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	, , ,	Specially Closed	20-Apr-2018	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कारवाही से संतुस्ट है

हमारे द्वारा दिये गए परिवाद मे दिनांक 19/04/2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बताया गया था कि मामले मे एसीबी जांच प्रक्रियाधीन है|

क्या चल रहा है इस मामले मे आज की तारीख मे?

इस मामले को उजागर हुए 4 साल हो चुके है,एसीबी ने मामला भी दर्ज कर लिया है,देखना यह है इस मामले मे आज की तारीख मे क्या चल रहा है?आज भी इस मामले से जुड़े कई सवाल अपने उचित जवाब का इंतजार कर रहे है?इन सवालों के जवाब के लिए हमारे द्वारा हर उस विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा जाएगा,जिसका इस मामले से संबंध है|देखना यह है कि संबन्धित विभाग जवाब देंगे या फिर हमे टरकाने का प्रयास करेंगे?

जवाब मांगते सवाल?

1. इस मामले मे विभागीय जांच करने वाले तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक श्री महावीर सिंह द्वारा क्या कार्यवाही की गयी थी?
2. एसीबी द्वारा दर्ज एफ़आईआर की वर्तमान क्या स्थिति है?क्या मामले मे कोर्ट मे चालान पेश कर दिया गया है?या फिर मामले मे एफ़आर लगा दी गयी है?
3. मामले के दोषी अधिकारी इस समय किस पद पर पदस्थापित है?
4. क्या एसीबी ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभाग से अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है?और क्या विभाग द्वारा समय पर अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गयी है?
5. एसीबी मे जिस फर्म को इस घटिया सप्लाई के लिए दोषी माना था क्या उसे ब्लेकलिस्टेड कर दिया गया है?या फिर वह अभी तक सरकारी विभागों मे घटिया वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है?
6. क्या दोषी अधिकारियों/फ़र्मों से 4.25 करोड़ की रिकवरी की गयी है?
7. क्या उन छात्रावासों के बच्चे आज भी उन्ही घटिया गद्दों,तकियों,चद्दरों,बेड़ों का उपयोग कर रहे है?
8. कौन है इस अव्यवस्था का दोषी?भ्रष्ट अधिकारी,लालची ठेकेदार या फिर हम जैसे गैर-जिम्मेदार नागरिक?जो जानबूझ कर ऐसे मामलों मे आवाज नहीं उठाते?

लूट खसोट हर विभाग मे जारी|

ऐसा नहीं है कि यह लूट खसोट केवल एक ही विभाग तक सीमित है,यह लूट खसोट लगभग हर उस विभाग मे अनवरत रूप से जारी है जहां पर टेंडर प्रक्रिया के तहत वस्तुओं की खरीद,सेवाओं का भुगतान किया जाता है|इस लूट मे ठेकेदार के साथ साथ विभाग के सभी आला अधिकारियों तक उनका हिस्सा बिना बोले पहुचाया जाता है जिसे इन लुटेरों की भाषा मे शिष्टाचार कहा जाता है|इस लूट खसोट से जहां एक और राजकीय कोश को नुकसान पहुचाया जाता है वही इन खटिया वस्तुओं और सेवाओं से उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है|और कुछ समय बाद इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए पुनः वही खरीद प्रक्रिया की जाती है|

एसीबी द्वारा प्रस्तुत ज़ीरो एफ़आईआर

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर थाना – सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष– 2019
प्र.इ.रि.स. 236/19 दिनांक 6/8/2019

2. (अ.) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – **13(1)(डी), 13(2)पीसी एक्ट 1988 एवं 120(बी) आईपीसी**

(ब) अधिनियम – धारायें –

(स) अधिनियम – धारायें –

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 126 समय 6.25 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : वर्ष 2009 से वर्ष 2017

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 10.01.2018

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27.12.17 को छपी खबर की कटिंग से

5. घटना स्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : –

(ब) पता : प्रधानाचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय सागवाडा, आसपुर, बिछीवाडा, गलियाकोट, चिखली, ओबरी एवं साबला जिला डूँगरपुर तथा खोडन जिला बांसवाडा (राज.)

................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, डूंगरपुर

6. परिवादी/सूचनाकर्ता : दिनांक 27.12.2017 को राजस्थान पत्रिका में छपी खबर की कटिंग पर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्रीमती अनुपमा शर्मा तत्का0 वित्तीय सलाहकार 2. श्री गणपत लाल शर्मा तत्का0 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय (छात्रावास) सेवानिवृत, अधिकारी/कर्मचारीगण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर 3. एन.के शर्मा प्रोपराईटर्स (एनटीसी), नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर एवं राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर लिमिटेड जयपुर।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण : – अधिकारी/कर्मचारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग के छात्रावासों में एनटीसी (नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा गद्दे,तकिये, खेच, कम्बल, चद्दर, एवं राजस्थान सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा बंक बेड आदि घटिया सामग्री आपूर्तिकर नियमों की अवहेलना कर अनियमितता बरतते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाना व राज्य सरकार को हानि पहूंचाना।

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 4,23,81,424/रु.

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : –

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):–

राजस्थान पत्रिका के डूंगरपुर पत्रिका में दिनांक 27.12.17 को प्रकाशित खबर " गद्दों की खरीद में गड़बड़झाला " का वाक्यात इस प्रकार है कि प्रदेश भर में हुई आपूर्ति, स्तरहीन सामग्री खरीद राजकीय राशि का किया दुरुपयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों का मामला आदि न्यूज कटिंग पर परिवाद संख्या 9 / 18 विरुद्ध प्रधानाचार्य,

भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय सागवाडा, आसपुर, सीमलवाडा, बिछीवाडा, चिखली ओबरी जिला डूंगरपुर के विरूद्ध दर्ज किया। जिसकी जांच की गई तो पाया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग के छात्रावासों में नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 27.07.2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय/राजकीय आवासीय छात्रावास डूंगरपुर/बांसवाडा में विद्यार्थियों के उपयोगार्थ गद्दे, तकिये, चद्दर, खेच, कंबल, स्तरहीन एवं राजस्थान सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खेडा आसपुर डूंगरपुर में बंक बेड(लौहे के) की सप्लाई की गई, उक्त सामग्री के स्पेशीफिकेशन प्राप्त किये गये।

जांच के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर के तकनीकी विशेषज्ञ मय आवश्यक संसाधनों के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खेडा आसपुर, पुनाली, सीमलवाडा, चिखली जिला डूंगरपुर एवं खोडन जिला बांसवाडा पहूंच कर भौतिक सत्यापन किया। मौके पर फर्दात मूर्तिब की गई।

भौतिक सत्यापन एवं स्टॉक रजिस्टर के अनुसार प्राप्त सामग्री का स्पेशीफिकेशन के अनुसार नापतौल, वजन, लम्बाई चौडाई व मोटाई कमशः गद्दो, खेच, कम्बल, चद्दर, तकिये एवं तकियों के कवर, पलंग दरी, दरी पट्टी में कही कम व ज्यादा व कही बराबर पाया। किंतु सामग्री को देखने पर पाया कि आपूर्तिकर्ता(फर्म एनटीसी) ने गद्दों की निर्धारित मोटाई के स्थान पर कम मोटाई के गद्दों व तकियों की रुई को चैक करने पर घटिया स्तर की रूई का प्रयोग किया जाना प्रतीत होता है, जो देखने से ही प्रथम दृष्टया इस्तेमाल किये जाने योग्य नही पाये गये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने फर्म नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर से मिलीभगत कर अपने अधिकारो व पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक स्तरहीन रुई(कॉटन) की सामग्री डूंगरपुर/बांसवाडा स्थित आवसीय विद्यालयों में आपूर्ति कर राजकोष को हानि पहूंचाते हुए राजकीय राशि का दुरुपयोग एवं आपूर्ति के लिये नियत मापदण्डों की अवहेलना की। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मापदण्डों के अनुरुप सामग्री उपलब्ध नही करवायी जाना पाया जाता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये वृहद स्तर पर लाखों रुपये खर्च कर रुई के गद्दे, चद्दर, कंबल, खेच व बंक बेड (लौहे की) गुणवत्ताहीन व स्तरहीन पाये गये। इस प्रकार यह खरीद गुणवत्ताहीन एवं औचित्यहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि है कि संबधित फर्म को अनुचित लाभ पहूंचाया गया। जबकि संयुक्त शासन सचिव वित्त (ई.ए.डी.) विभाग राज. जयपुर के पत्र कमांक प07(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./विविध/2013 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि " RTPP नियम 2013 के नियम 32 के अन्तर्गत जारी नोटीफिकेशन दिनांक 04.09.2013 की मद संख्या 10बी एवं 38 के अन्तर्गत कय के संबध में उपापन विषय वस्तु सामग्री (बेडशीट तकीया, कम्बल इत्यादि) का उपापन अधिसूचना की मद संख्या 10बी में विहित प्रकिया अनुसार किया जाना, सामग्री निर्धारित संस्थाओं में उपलब्ध भी है। ऐसी स्थिति में अकारण मद संख्या 38 के अनुसार कय की कार्यवाही अधिसूचना की मंशा अनुरुप नही है "। फिर भी विभागीय अधिकारियों ने उक्त फर्म एनटीसी से नियम विरुद्ध 4,23,81,424/रु. की सामग्री कय में अधिसूचना व विभागीय नियमों का उल्लंघन कर सामग्री कय की गई।

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खेडा आसपुर को राजस्थान सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा दिनांक 03.04.2009 व 04.04.2009 को कुल 80 बंक बेड(लौहे के) सप्लाई किये गये। जिनका भौतिक सत्यापन स्पेशीफिकेशन के अनुसार किया गया तो छात्रावास में उपलब्ध बंक बैड(लौहे के) की क्वालिटी, मजबूती देखने से ही स्तरहीन प्रतीत

होती है। विद्यार्थियों के बंक बैड ऐसे है कि सोने के लिये उपर चढ़ते ही हिलने लगते है। इस कारण विद्यार्थी उपयोग भी नही कर पा रहे है। जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गो के विद्यार्थी के लिये विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहे है। भौतिक सत्यापन से यह भी पाया कि बंक बेड जगह–जगह टूटे फुटे होकर हिलडूल रहे है जिससे स्पष्ट है कि राजस्थान सेट्रंल स्टोर लिमिटेड जयपुर से सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध कराये गये बंक बेड प्रथम दृष्टया पाये गये। इस प्रकार सेट्रंल स्टोर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से साठ गांठ कर आवासीय विद्यालयों के लिये घटिया स्तरहीन बंक बेड उपलब्ध कराये गये। वर्तमान में खराब स्थिति में है व कई बंक बेड टूटे हुए मिले जिससे यह स्पष्ट है कि बंक बेड व अन्य सामग्री कय करने में राजस्थान सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड जयपुर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने फर्म से मिलीभगत कर आपराधिक षड़यंत्र के तहत घटिया व स्तरहीन बंक बेड की आपूर्ति कर राजकोष को हानि पहूंचाई गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की तत्का0 वित्तीय सलाहकार श्रीमती अनुपमा शर्मा हाल वित्तिय सलाहकार कार्यालय निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग जयपुर एवं श्री गणपत लाल शर्मा तत्का0 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय (छात्रावास) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर हाल सेवानिवृत ने तथा विभाग के अन्य अधिकारियों ने फर्म नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन जयपुर एवं राजस्थान सेंट्रल स्टोर्स लिमिटेड जयपुर से मिलीभगत कर आपराधिक षड़यंत्र के तहत अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग कर डूंगरपुर/बांसवाडा के आवासीय विद्यालयों में घटिया स्तर की सामग्री कय अधिसूचना व नियमो के विरुद्ध कय कर राजकोष को हानि पहूंचाने के उद्येश्य से राज्य सरकार के ग्रामोद्यौग हस्तकरघा से नही खरीदकर एनटीसी से खरीदना पाया जाता है। जो धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 120 बी भा.द.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः 1. श्रीमती अनुपमा शर्मा तत्का0 वित्तीय सलाहकार 2. श्री गणपत लाल शर्मा तत्का0 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय (छात्रावास) सेवानिवृत, अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर 3. एन.के शर्मा प्रोपराईटर्स (एनटीसी), नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर एवं राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर लिमिटेड जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें वास्ते कमांकन सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर

5

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुलाब सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में वर्णित अभियुक्त 1. श्रीमती अनुपमा शर्मा तत्का. वित्तीय सलाहकार एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ के बिन्दु संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के कम संख्या 2 लगायत 3 के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 236/2019 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी

पुलिस अधीक्षक-प्रथम,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1767-70 दिनांक 6.8.2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. निदेशक, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक(परि.),भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,(परि.9/18)जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रथम,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।